मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांकः एफः 9-9/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय कर्मचारियों के चालान से जमा किये गये अंशदान की राशि अभिदाता के खाते में जमा करने हेतु व्यवस्था ।

--•••--

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर, 2006 के बिन्दु 23 में यह उललेखित है कि ऐसे शासकीय सेवक जो प्रतिनियुक्ति पर है इनका मासिक अंशदान तथा समतुल्य नियोक्ता अंशदान चालान (एम.पी.टी.सी. प्रपत्र-7) द्वारा कोषालय में जमा करना होगा । चालान में कर्मचारी को आवंटित स्थाई पेंशन खाता क्रमांक (प्रान) का उल्लेख होना आवश्यक है । इन चालानों द्वारा जमा किया गया अंशदान अभिदाता के खाते में जमा करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(अ) शासकीय कर्मचारियों/नियोक्ता द्वारा जमा किये गये अंशदान की जानकारी संबंधित कार्यालय प्रमुख से निर्धारित प्रपत्र-'अ' में सत्यापित होकर तथा चालान की सत्यापित प्रति सहित उस जिले के कोषालय में जहां चालान जमा किया गया है को प्रेषित की जायेगी । प्रपत्र-'अ' के कालम 7 में उल्लेखित जानकारी संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा प्रमणित किया जाना होगा ।

(ब) यह तथ्य ध्यान में लाया गया है कि कतिपय कार्यालयों द्वारा कर्मचारियों का वेतन आहरण राज्य सरकार की संचित निधि से न कर (कोषालय से नहीं) अन्य निधि से

किया जाता है एवं परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के अंशदान का कटौत्रा बैंक या अन्य किसी माध्यम में जमा किया जाता है तथा उक्त राशि शासकीय प्राप्ति खाते 0071-500 में जमा नहीं है । संबंधित कार्यालय प्रमुख ऐसी राशि को चालान द्वारा राज्य शासन के खाते में शीर्ष 0071-500 प्राप्ति खाते में जमा करेगें । चालान में कर्मचारी का प्रान अंकित किया जाना अनिवार्य होगा । शासकीय कर्मचारियों/नियोक्ता द्वारा जमा किये गये अंशदान की जानकारी संबंधित कार्यालय प्रमुख से निर्धारित प्रपत्र-'अ' में सत्यापित होकर तथा चालान की सत्यापित प्रति सहित उस जिले के कोषालय में जहां चालान जमा किया गया है, को प्रेषित की जायेगी । प्रपत्र-'अ' के कालम 7 में उल्लेखित जानकारी संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा प्रमणित किया जाना होगा ।

2/ अभिदाताओं से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त जानकारी संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा सी.एफ.एम.एस. साफ्टवेयर में प्रविष्टि की जायेगी । कोषालय अधिकारी द्वारा दिन भर किये गये प्रविष्टियों के अनुसार अभिदाताओं की एक संकलित फाईल तैयार की जावेगी जिसे सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा को प्रेषित किया जावेगा ।

3/ कोषालय अधिकारी अभिदाताओं के चालान द्वारा बैंकों में जमा की गयी अंशदान की राशियों का एक रिफंड बिल तैयार कर राशि संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल के स्टेट बैंक में संधारित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के खाते में जमा करेगें । कोषालय अधिकारी का यह दायित्व होगा कि चालान से जमा की गयी राशि कोषालयीन अभिलेखों से प्रमाणित कर ली गई है ।

4/ उपरोक्तानुसार अभिदाताओं के अंशदान कटौत्रों के शासकीय खाते में जमा करने के दिनांक से लेकर एन.एस.डी.एल. में जमा करने के दिनांक तक वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिये घोषित दर से ब्याज का भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा । प्रत्येक दिनांक को संगणित कुल ब्याज की राशि

लेखा शीर्ष मांग संख्या-6 मुख्य शीर्ष 2071, (6854) अंशदायी पेंशन योजना #52 ब्याज/लाभांश भुगतान 001 ब्याज से आहरित कर संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा के स्टेट बैंक में संधारित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के खाते में जमा करेगें।

5/ संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल में प्रचलित वर्तमान प्रक्रिया अनुसार अभिदाताओं के कटौत्रे तथा ब्याज की राशि एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित किया जायेगा ।

अनुरोध है कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था का पालन करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रं.: एफ: 9-9/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर, 2013

प्रतिलिपि

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा पर्यावास भवन, भोपाल म.प्र. ।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र. ।
3. समस्त संभागीय पेंशन अधिकारी म.प्र. ।
4. समस्त जिला पेंशन अधिकारी म.प्र. ।

(अजय चौबे)
अवर सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

Sunita/ paripa2013

प्रपत्र–'अ'

Name of the Subscriber .... Name of the Head of Office /District ....

DTO Name	DDOName	Employee Code	Date of Joining
Registration No .(As provided by NSDL)	Registration No(As provided by NSDL)	PRAN No.	Date of Birth

5.Deputation period : ____________________ to ______________________________

6.Details of Contribution in the financial year : ______________________

Month	Subscriber Contribution	Government contribution	Total amount	Head of Account (Deposit)	Challan Details (Treasury name challan No &Date	Verification by Treasury Officer
1	2	3	4	5	6	7
April						
May						
June						
July						
August						
September						
Octoher						
Novermber						
December						
January						
February						
March						
Total						

It is certified that information given above is verified by me and found correct.

Signature---------------------------------------

Name of the Head of the office------------------------------

Seal-------------------------------